Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश पत्रक

सिविल पुनरीक्षण संख्या 43/2006

---------------------- -----------------------

आदेश

(05 अप्रैल, 2006 को पारित)

श्री बी.पी. गुप्ता, आवेदकों के अधिवक्ता।

अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

ग्राह्यता व एम.(सी.)पी. क्रमांक 496/2006 पर सुनवाई की गई।

यशवंत सिंह वन विभाग के कर्मचारी थे, उनके निधन के बाद, अनावेदक द्वारा उनके सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने का दावा आवेदकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए, विभाग ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। परिणामस्वरूप, अनावेदक/वादी तथा आवेदक/प्रतिवादी दोनों ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए, जो उत्तराधिकार प्रकरण क्रमांक 11/99 एवं 6/99 थी। ये दोनों आवेदन व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, खैरागढ़ द्वारा दिनांक 16.08.2002 को निर्णीत किए गए। न्यायालय ने यह कहते हुए अनावेदक/वादी का आवेदन अस्वीकृत कर दिया कि वह स्व. यशवंत सिंह की विधिक रूप से विवाहित पत्नी नहीं हैं, और आवेदकों/प्रतिवादियों के आवेदन को स्वीकार कर लिया, जो यशवंत सिंह की प्रथम पत्नी हेम कुमारी (जिनका निधन 14.01.1969 को हुआ) से उत्पन्न संतान हैं। अनावेदक/वादी ने इन दोनों आदेशों को पृथक अपीलों के माध्यम से चुनौती दी, जिन्हें अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 29.10.2004 को खारिज कर दिया। अतः, अपने विवाह को वैध सिद्ध करने हेतु विस्तृत जानकारी देते हुए एवं यशवंत सिंह द्वारा अपने पक्ष में किए गए नाम निर्देशन पर भरोसा रखते हुए, उन्होंने यह दावा किया कि वाद कारण दिनांक 29.10.2004 को उत्पन्न हुआ, अर्थात जिस दिन उनकी दोनों अपीलें खारिज हुईं। इसके आधार पर उन्होंने आवेदकों/प्रतिवादियों के विरुद्ध एक वाद प्रस्तुत किया, जिसमें यह घोषणा (डिक्री) मांगी गई कि यशवंत सिंह के साथ उनका विवाह वैध घोषित किया जाए, आवेदकों के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश अकृत एवं शून्य घोषित किया जाए, तथा अन्य परिमाणिक घोषणाएं दी जाएं।

आवेदकों/प्रतिवादियों ने आदेश 7 नियम 11 एवं 12 तथा व्य.प्र.स की धारा 151 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह दावा किया गया कि वाद परिसीमा काल द्वारा वर्जित है तथा पूर्वन्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित है। माननीय विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात, प्रकरण के गुण–दोष पर विचार किए बिना, दिनांक 13/12/2006 को व्यवहार वाद क्रमांक 2–ए/2005 में आदेश पारित करते हुए उक्त आवेदन को ख़ारिज कर दिया। उक्त आक्षेपित आदेश से आहत होकर आवेदकों ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है।

आवेदकों के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वादपत्र में किए गए कथनों से स्पष्ट है कि वाद परिसीमा विधि उत्तराधिकार विधि द्वारा वर्जित है, अतः व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र को अस्वीकार किया जाना चाहिए था।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (आगे से "यह अधिनियम") की धारा 383 (ई) तथा धारा 387 इस प्रकार हैः

"धारा 383 - प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण

इस भाग के अधीन प्रदान किया गया प्रमाणपत्र निम्नलिखित में से किसी भी कारण से रद्द किया जा सकता है, अर्थात:--

(अ) xxxxx xxxxx xxxxx

(ब) xxxxx xxxxx xxxxx

(स) xxxxx xxxxx xxxxx

(द) xxxxx xxxxx xxxxx

(ई) कि प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट ऋण या प्रतिभूतियों से संबंधित प्रभावों के संबंध में किसी वाद या अन्य कार्यवाही में सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश या डिक्री यह उचित बनाती है कि प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

धारा 387 – इस अधिनियम के अधीन विनिश्चयों का प्रभाव और उसके अधीन प्रमाणपत्र धारक का दायित्व - किसी पक्षकार के बीच अधिकार के किसी प्रश्न पर इस भाग के अधीन कोई विनिश्चय, उसी पक्षकार के बीच किसी वाद में या किसी अन्य कार्यवाही में उसी प्रश्न के विचारण को वर्जित करने वाला नहीं माना जाएगा और इस भाग की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव डालती है, जो किसी ऋण या प्रतिभूति का संपूर्ण भाग या उसका कोई भाग, या किसी प्रतिभूति पर कोई ब्याज या लाभांश प्राप्त करता है, और वह उसका हिसाब विधिपूर्वक उसके हकदार व्यक्ति को देगा।

उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट होता है कि किसी भी पक्षों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर लिया गया निर्णय, उन्हीं पक्षों के मध्य किसी वाद या अन्य कार्यवाही में उसी प्रश्न के परीक्षण में बाधा नहीं बनेगा। वर्तमान प्रकरण में, भले ही उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने के संदर्भ में न्यायालय ने यह निर्णय दिया हो कि वादी/अनावेदक को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह स्वर्गीय यशवंत सिंह की विधि रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी, फिर भी वादी/अनावेदक को यह अधिकार है कि वह उन्हीं आवेदकों के विरुद्ध जो उत्तराधिकार कार्यवाहियों में अनावेदक थे एक वाद प्रस्तुत कर पुनः वही प्रश्न उठाए, जैसा कि उसने किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वर्तमान वाद में *परिसीमा अधिनियम, 1963* की धारा 14(1) तथा अनुच्छेद 58 एवं 59 सुसंगत है, जो इस प्रकार हैं:

> "14 – अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायालय में सद्भावपूर्वक कार्यवाही के समय का बहिष्कार। (1) किसी वाद के लिए परिसीमा अवधि की गणना करते समय, वह समय जिसके दौरान वादी प्रतिवादी के विरुद्ध किसी अन्य सिविल कार्यवाही, चाहे वह प्रथम दृष्टया न्यायालय में हो, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में हो, सम्यक् तत्परता के साथ अभियोजन करता रहा है, अपवर्जित कर दिया जाएगा, जहां कार्यवाही उसी विवाद्यक मामले से संबंधित है और सद्भावपूर्वक ऐसे न्यायालय में अभियोजन की जाती है, जो अधिकारिता के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से उसे ग्रहण करने में असमर्थ है।"

भाग III – घोषणाओं से संबंधित वाद

वाद का विवरण	सीमा अवधि	वह समय जिससे मासिक धर्म चलना शुरू होता है
58. कोई अन्य घोषणा प्राप्त करने के लिए।	तीन वर्ष	जब मुकदमा करने का अधिकार पहली बार प्राप्त होता है
59. किसी दस्तावेज़ या आदेश को रद्द करना या अलग रखना या किसी अनुबंध को रद्द करना।	तीन वर्ष	जब वादी को लिखत या डिक्री को रद्द या अपास्त कराने या अनुबंध को विखंडित कराने का अधिकार देने वाले तथ्य पहली बार ज्ञात हो जाएं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्वीकार्य है कि गैर–आवेदक/वादी द्वारा जब स्व. यशवंत सिंह की मृत्यु पर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने का दावा न्यायालय द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि वह यशवंत सिंह की विधिवत विवाहित पत्नी नहीं है, तथा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की विवेचना करने वाली न्यायालय द्वारा उनका दावा निरस्त कर दिया गया; तो प्रस्तुत वाद इस आधार पर दायर किया गया है कि वाद का कारण 29/10/2004 को उत्पन्न हुआ, जब उनकी अपील भी अस्वीकृत हो गई।

शब्द "इंस्ट्रूमेंट" की परिभाषा परिसीमा अधिनियम, 1963 में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, अतः अन्य स्रोतों से, परिसीमा अधिनियम की अनुच्छेद 59 में प्रयुक्त "इंस्ट्रूमेंट" शब्द का अभिप्राय निर्धारित किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत, किसी इंस्ट्रूमेंट, डिक्री

अथवा अनुबंध के निरसन हेतु वाद दायर करने की सीमा–अवधि का उपबंध किया गया है। सामान्य रूप से, "इंस्ट्रूमेंट" का तात्पर्य ऐसे दस्तावेज़ से है जिसके माध्यम से कोई अधिकार या दायित्व उत्पन्न, अंतरण, सीमित, विस्तारित, लुप्त या अभिलेखित किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम और नोटरी अधिनियम में निहित परिभाषा से भी यह स्पष्ट है कि ऐसे समस्त दस्तावेज़, जिनके द्वारा किसी प्रकार का अधिकार अथवा दायित्व सृजित, अंतरित, सीमित, विस्तृत, लुप्त या अभिलेखित किया जाता है, वे "इंस्ट्रूमेंट" की श्रेणी में आते हैं। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, अधिनियम की अनुसूची–8 में दी गई रूपरेखा के अनुसार निर्गत किया जाता है, जो सम्बद्ध व्यक्ति को ऋण या प्रतिभूतियों की वसूली हेतु अधिकृत करता है। इस प्रकार, अनुच्छेद 59 के संदर्भ में "इंस्ट्रूमेंट" शब्द को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया गया है और इसमें उत्तराधिकार प्रमाणपत्र भी स्पष्ट रूप से सम्मिलित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 9 और आदेश 7 के नियम 11(डी) को नीचे पढ़ा जा सकता है:

9. न्यायालयों द्वारा सभी सिविल मुकदमों की सुनवाई की जाएगी, जब तक कि उन पर रोक न लगाई जाए। – न्यायालयों को (इसमें निहित प्रावधानों के अधीन) सिविल प्रकृति के सभी वादों पर विचारण करने का अधिकार होगा, सिवाय उन वादों के जिनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है।

स्पष्टीकरण [I]--ऐसा वाद जिसमें संपत्ति या पद के अधिकार पर विवाद किया जाता है, सिविल प्रकृति का वाद है, भले ही ऐसा अधिकार धार्मिक अनुष्ठानों या समारोहों से संबंधित प्रश्नों के निर्णय पर पूर्णतः निर्भर हो।

स्पष्टीकरण [II]: इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट पद के लिए कोई शुल्क/फीस है या नहीं, या ऐसा पद किसी विशेष स्थान से जुड़ा है या नहीं।

११. वादपत्र का नमंज़ूर किया जाना। निम्नलिखित दशाओं में अभिकथन को नमंज़ूर कर दिया जाएगा:

(अ) xxxxxxxxxxxxxxx

(ब) xxxxxxxxxxxxxxx

(स) xxxxx xxxxx xxxxx

(घ) जब अभिकथन में किए गए कथनों से यह स्पष्ट हो कि वाद किसी विधि द्वारा प्रतिबंधित है।

वाद पत्र के अभिवचन यह पूर्णत: स्पष्ट है कि अनावेदक/वादी द्वारा दायर की गई वर्तमान व्यवहार वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अधीन वर्जित नहीं है। जहाँ तक परिसीमा के संबंध में,

धारा 14 तथा परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 58 और 59 के संयुक्त प्रभाव से वाद निर्धारित अवधि के भीतर दायर की गई है। अतः सिविल न्यायालय द्वारा इस वाद में संज्ञान लिया जाना तो स्पष्ट रूप से और न ही निहित रूप से वर्जित है।

पुनरीक्षण को संक्षिप्त रूप से खारिज किया जाना उपयुक्त है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

उपरोक्त आदेश के आलोक में, एम. (सी.) पी. सं. 496/2006 तथा आईए सं. 124/2006 का भी निराकरण हो जाता है ।

हस्ताक्षरित/–
वी.के.श्रीवास्तव
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

अस्वीकरण: विवेकानंद समद्दार द्वारा अनुवादित।